न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/58/2015 वाद पत्र दायर दिनांक 09.09.2015

उनवान

1. नाथू खां पिता श्री नाबुदीन जाति मुसलमान निवासी कांकरवा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. कालुराम पिता श्री जालम जाति तेली निवासी कांकरवा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. इन्द्रमल पिता श्री जालम जाति तेली निवासी कांकरवा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. बैंक आफॅ बडौदा शाखा काकंरवा जरिये शाखा प्रबन्धक जी कांकरवा कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0.एक्ट

निर्णय दिनांकः 22.08.2019

–:निर्णयः–

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट के आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम काकंरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 2893/3 रकबा 6 बिघा 18 बिस्वा स्थित थी जो वादी व वादी के भाई अजीज खां, दौलत खां व बहीन बाउ के खातेदारी व कब्जे काश्त थी उक्त अराजीयात की उत्तरी सीमा मिनारे से लगी हुई है।

यह है कि उक्त आराजीयात के पैमाईश में नये नम्बर 4474, 4476 4477, 4479, 4481, 4482 बनाये गये व उक्त का कुल रकबा 1.32 है0 दर्ज किया जो साबिक के मुकाबले लगभग 0.20 है0 कम है। मगर वादी सिर्फ 0.08 है0 ही क्लेम करता है उक्त कमी रकबे का आ0 स0 4473 बनाया जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज कर दिया जो गलत है। राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी नम्बर 4473 का मिलान क्षेत्रफल में पुराना आराजी नम्बर 2891/1 व 2893/2 अंकित किया जो गलत है चुकिं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साबिक ट्रेस व हाल ट्रेस में अंकन गलत कर दिया चुकिं साबिक आ0 न0 2843/1, 2893/1 व 2893/3 तीनों की उत्तरी तरफ मिनारें से लगी हुई है जबकि नक्शे में आराजी नम्बर 4473 को मूस वादी की आराजीयात व सीमा के मिनारें के बीच दर्शित कर दिया जो गलत है। उक्त आराजीयात पर शुरू से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, व आज भी वादी का कब्जा है व वादी की खातेदारी की आराजीयात का अभिन्न हिस्सा ळै जिससे वादी उक्त आराजी नम्बर 4473 का खातेदारी काश्तकार है व वर्तमान राजस्व रेकार्ड का नक्शा गलत होकर दुरूस्ती योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 उक्त गलत अंकन का फायदा उठा मूस वादी को बेदखल करने पर उतारू है जबकि उक्त आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादीगणों का कब्जा नही रहा है व शुरू से ही वादी के पिता के समय से वादी काबिज है जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा पक्षकारन के बीच कई प्रकार के विवाद पैदा हो जायेगा। अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर आ0 स0 4473 की खातेदारी चाहने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता बंशीलाल लढ्ढा का वकालत नामा पेश हुआ प्रतिवादी संख्या 3 बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत जो इस प्रकार है कि 4473 पर वादी का किसी प्रकार का कब्जा नही है न ही वादी कब्जा करने का अधिकारी है। और ना ही वादी आ0 न0 4473 का खातेदारी काश्तकार है।

वर्तमान राजस्व रेकार्ड बिलकुल सही बना हुआ है जिसमें दुरूस्ती किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। आ0 स0 4473 का पूर्व में खातेदारी काश्तकार किसन लाल पिता बदरी लाल ब्राहम्ण निवासी कांकरवा था जिससे दिनांक 20.12.1999 को हम प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र लिखा दिनांक 16.03.2000 को विक्रय पत्र का पंजियन करवाया । दिनांक 20.12.1999 से ही आ0 स0 4473 पर कब्जा हम प्रतिवादीगण का निरन्तर रूप से चला आ रहा है। उक्त आराजी में किसी भी हिस्से पर वादी का कब्जा नही है एवं ना ही वादी खातेदारी काश्तकार है। वादी किसी भी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साथ ही विशेष कथन में लिखा है कि आ0 स0 4473 के उतरी पूर्वी कोने पर हम प्रतिवादीगण ने टयुबवेल खुदा रखी है जिसमें अच्छा पानी आ गया है जिस वजह से वादी के मन में बदनियान्ती आ जाने की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वजह से वह झुठे मुकदमें की आड में ट्युबवेल वाली जमिन को हडपना चाहता है। आ0 न0 4473 के पडोस निम्न है पूर्व सरकारी पडत जमीन पश्चिम हम प्रतिवादीगण की स्वयं की जमिन उत्तर में भाना पिता नाथ भील, दक्षिण वादी की जमिन। अन्त में वाद पत्र निरस्त करने बाबत् इश्तदुआ की।

हमने पत्रावली में दिनांक 04.09.2008 को निम्न तनकी कायम की गई

1. आया साबिक आ0 न0 2893/3 रकबा 6.18 बीघा वादी व वादी के भाईयों के खातेदारी व कब्जे की थी। सेटलमेन्ट के दौरान नये नम्बर कॉलम संख्या 2 में अंकित है बनाये गये जिसका कुल रकबा 1.32 है0 दर्ज किया जो साबिक रकबा के मुकाबले 0.20 है0 कम दर्ज किया गया है इस वादी हाल आ0 न0 4473 वादी खातेदारी से दर्ज कराने का अधिकारी है– जिम्मे वादी
2. आया हाल आ0 स0 4473 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत दर्ज कर दिया तथा राजस्व कर्मचारियों ने उक्त हाल आराजी मिलान क्षैत्रफल में साबिक आ0 न0 2893/1 व 2893/2 अंकित किया जो गलत है। –जिम्मे वादी
3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है– जिम्मे वादी
4. आया हाल आराजी नम्बर 4473 खातेदार किशनलाल ब्राहम्ण जरिये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 20.12.1999 से हम प्रतिवादीगण के खरिद की । तबसे प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहे है वर्तमान रेकार्ड का इन्द्राज सही है।– जिम्मे प्रतिवादी
5. अनुतोष

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी सबूत दस्तावेज में जमाबन्दी नकल सम्वत 2060–2063 EX-1, नक्शा ट्रेस हाल EX-2, नक्शा ट्रेस साबिक EX-3, मिलान शीट EX-4, साबिक जमाबन्दी 2036–2039 नकल EX-5, जमाबन्दी नकल 2060–2063 जमाबन्दी नकल 2036 से 2039 EX-6 आदि प्रस्तुत किये।

दिनांक 25.02.2010 को शहादत वादी में वादी नाथू खां का शपथ पत्र पेश हुआ जो कि जिरह के बाद PW-1. है। शहादत वादी में कोई और बयान पेश नही होने से रिवटल साक्ष्य वादी रखते हुए साक्ष्य बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में कालुराम का

शपथ पत्र प्रस्तुत जिस पर जिरह वकिल वादी द्वारा कि जाकर DW-1 है व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कि गई। प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस दिनांक 08.08.2019 को सुनी गई हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहान के बयान आदि का अवलोकन किया तथा दोनो अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

1. आया साबिक आ0 न0 2893/3 रकबा 6.18 बीघा वादी व वादी के भाईयों के खातेदारी व कब्जे की थी। सेटलमेन्ट के दौरान नये नम्बर कॉलम संख्या 2 में अंकित है बनाये गये जिसका कुल रकबा 1.32 है0 दर्ज किया जो साबिक रकबा के मुकाबले 0.20 है0 कम दर्ज किया गया है इस वादी हाल आ0 न0 4473 वादी खातेदारी से दर्ज कराने का अधिकारी है– जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को सिद्ध कराई जानी है। साबिक जमाबन्दी नकल सम्वत 2036–2039 EX-5 से जाहिर है कि में आ0 स0 2693/3 रकबा 6.18 बीघा वादी व वादी के भाईयों के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसके नये नम्बर वाद पत्र के कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजी नम्बर 4474, 4476, 4477, 4479, 4481, 4482 बने है जो कि हाल जमाबन्दी 2060–2063 होकर EX-1 में दर्ज है। उक्त आराजीयात का रकबा 1.32 है0 है जो साबिक रकबा के मुकाबले 0.20 है0 कम दर्ज है। वादी आराजी नम्बर 4473 स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज कराने बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु उक्त आराजीयात मिलान शीट अनुसार साबिक नम्बर 2893/1 व 2893/2 से बना है। जिसमें उक्त आराजीयात का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा साबिक के मुकाबले हाल में 0.57 हैक्ट0 दर्ज है जो बराबर दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा आराजी सख्या 4473 पर कब्जा सम्बधी कोई सबूत प्रस्तुत नही किया, व 0.20 हैक्ट0 कम भूमि किस आराजीयात में शामिल हुई है सबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है अतः वादी उक्त तनकी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असमर्थ रहा।

2. आया हाल आ0 स0 4473 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत दर्ज कर दिया तथा राजस्व कर्मचारियों ने उक्त हाल आराजी मिलान क्षैत्रफल में साबिक आ0 न0 2893/1 व 2893/2 अंकित किया जो गलत है। –जिम्मे वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी का था पर उक्त के सबंध में पुख्ता साक्ष्य व सबूत वादी प्रस्तुत नही कर सका अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के खिलाफ निर्णत की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है– जिम्मे वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था पर तनकी संख्या 1 व 2 सिद्ध नही करा पाने से व आ0 स0 4473 पर वादी का कब्जा सबंधी कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किया व वादी द्वारा PW-1 में उक्त आराजीयात पर टयुब्वेल का बिजली कनेक्शन अपने नाम पर होना जाहिर किया परन्तु उक्त के सबंध में कोई बिजली का बिल प्रस्तुत नही किया है। आराजीयात पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तनकी संख्या 3 वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

4. आया हाल आराजी नम्बर 4473 खातेदार किशनलाल ब्राहम्ण जरिये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 20.12.1999 से हम प्रतिवादीगण के खरिद की । तबसे प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहे है वर्तमान रेकार्ड का इन्द्राज सही है।– जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का था उक्त के सबंध में वादी के शपथपत्र PW-1 में किशनलाल से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि क्रय करना जाहिर किया है साथ हि DW-1 में कालुराम के जीरह में किशनलाल से जमीन क्रय करना जाहिर हुआ है। जमाबन्दी संवत 2060–2063 EX-6 में उक्त आराजीयात 4473 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है अतः रेकार्ड खातेदारी होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

तनकी संख्या 1 से लेकर 3 तक वादी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा जिससें वाद पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर